अमृत वाणी

सच्चाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होने पर भी बहुत देश सेवा कर सकता है।

-पं. मोतीलाल नेहरू,

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी

जैसा कि अंदेशा था कि चुनाव बिल्कुल करीब आने पर ही सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी की घोषणा करेगी ताकि लोगों के दिमाग में मतदान के समय इस राहत की बात ताजा रहे, अंततः वहीं हुआ। भाजपा शासित कुछ राज्यों में जहां इसी वर्ष के अंत में चुनाव होना है, दो तीन दिनों में आचार संहिता की घोषणा होनी है इसलिए मतदाताओं को रिझाने का यही अंतिम समय है। अतः केन्द्र और राज्य सरकारों ने और समय न गंवाकर 4 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोनों ओर से ढाई-ढाई रूपये यानि कुल पांच रूपये के दोनों में कमी की घोषणा कर दी है। हालांकि पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के आगे यह कटौती ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है फिर भी राहत तो राहत ही होती है। कम से कम अब लोगों को पेट्रोल डीजल की खरीदी पर 5 रू. लीटर कम देने का लाभ तो मिलेगा।

वस्तुतः पेट्रोल-डीजल की कीमतें केवल उसकी अपनी कीमते ही नहीं होती। चूंकि उसके आधार पर परिवहन व्यय निर्धारित होता है अतः तमाम वस्तुओं की कीमतों का भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों से प्रभावित होना लाजमी है। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान में महंगाई अगर दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है तो उसकी एक महती वजह पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें भी है। आज बाजार में वस्तुओं के भाव हर दिन बढ़ रहे हैं। चावल दाल, से लेकर तेल साबुन हो या प्रसधन की वस्तुएं, कपड़े लत्ते, किताब-कापी, पेन्सिल हो या सब्जी-भाजी फल हर वस्तु की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। एक ओर सरकार किसी वस्तु की कीमत बढ़ा रही है तो दूसरी ओर महंगाई की मार से अन्य तमाम वस्तुएं महंगी होती जा रही है। सरकार महंगाई भत्ते में मामूली वृद्धि कर अपने कर्मचारियों को खुश करने की चाहे कितनी कोशिश कर ले मगर कर्मचारी वर्ग भी यही चाहेगा कि भत्ता नहीं कीमते कम हो। इसके अलावा पूरा देश कर्मचारी तो है नहीं।

यह तो निश्चित है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस मामूली राहत का महंगाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण उतनी आसानी से नहीं होती।

आज आम आदमी महंगाई के मार से त्रस्त है। त्योहार के दिन करीब आ रहे है। खुशी के बजाय लोगों को यही चिन्ता सता रही है कि वे त्योहार का स्वागत कैसे करें।

चुनाव पर इस महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है या शासन की ओर से अलग-अलग वर्गों के लिए घोषित किस राहत का कौन सा वर्ग कितना स्वागत करता है वो तो अलग बात है, वर्तमान में पूरा देश इस महंगाई से निजात पाने को आतुर है। केवल कमजोर तबका ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी बढ़ती कीमतों से परेशान है। लोगों का यही मानना है कि अगर सरकार ने पहले से ही इस पर अंकुश लगाने प्रभावी कदम उठाए होते तो आज संभवतः यह स्थिति नहीं होती।

अभी नहीं तो कब छोड़ेंगे मांसाहार

इसका प्रमुख कारणों में महत्वपूर्ण कारण कही हमारा आहार तो नहीं हैं ! जी हाँ, दुनिया में और खासतौर पर हमारे देश इंडिया में मांसाहार का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हैं। यह मांसाहार जब हम सेवन करते हैं क्या उसके पहले हमने कभी सोचा हैं की यह कहाँ से, कैसे प्राप्त होता हैं, कोई भी मांस बिना हिंसा के नहीं मिल सकता। हिंसा खुद करो या कराओ। खरीदो। बेचो, पकाने वाला,परोसने वाला, खाने वाला सबसे पहले कसाई की श्रेणी में आता हैं ! जी हाँ ये सब कसाई कहलाते हैं। मांस खाने वाला अपने आप सैकड़ों बीमारियों की आमंत्रित करता हैं और स्वयं विनाश की और अपने आप जाने लगता हैं। जिस छोर से हमने मनुष्य होना शुरू किया था, मांसाहार हममे बर्बरताएं बढाकर हमें उसी बिंदु में खींच लाने पर कटिबध हैं। ब्रिटेन के कत्लखानों से हर वर्ष एक अरब किलोग्राम खून एक लाख टनद्धनालियों में बहकर वहां के पर्यावरण को प्रदूषित करता हैं और इंडिया में हम विश्व में अग्रणी हैं। इसीलिए आज करूताओं ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया हैं। हिंसा के कारण वह पिशाच बन गया हैं। दुनिया में कोई भी धरम विश्वासघात की सीख नहीं देता हैं, किन्तु हम हैं की हमने कहीं न कहीं से कोई गली ध्रास्ता निकाल ली हैं और अपने स्वाद और शौक के लिए अपने खूनी पंजों से आसपास के वातावरण को दूषित करने पर तुले हुए हैं।

आज समाज में सामान्यतः यह चर्चा सुनने मिलती हैं की हमारे समाज या घरों में रोज नित्य नयी बिमारियों ने डेरा जमा लिया हैं। किसी न किसी को कुछ न कुछ लगा रहता हैं, कोई शारीरिक रोगों से पीड़ित तो कोई मानसिक रोगों से जैसे क्रोध, तनाव, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता से और समाज में अपहरण, दंगे, युध्य, हत्या, कलह, भुखमरी नशाखोरी और वर्तमान में बलात्कार का प्रचलन आम बात होती जा रही हैं। जैसा कहा जाता हैं की जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी।

आज कुछ अमीर और जिव्हालोलुपी बदवहास जायके के लिए हमें अपने मूक .निरीह पशुओं को मारने का कोई हक़ नहीं हैं। हम धन के पीछे अपनी शस्य श्यामला वसुंधरा को उजाड़ने तुले हुए हैं और अपनी ही पशु सम्पदा को बर्बाद कर रहे हैं। ज़मीर . की .मौत का इससे बड़ा सुबूत और क्या हो सकता हैं की हम अपने पाँव पर अपनी ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हमारे देश में अहिंसा की पूजा की जाती हैं और हिंसा से आर्थिक सम्पन्नता पाना चाहते हैं ! हमारे यहाँ नित नए नए कत्लखानों का निर्माण हो रहा हैं और यह भ्रान्ति फैलाई जाती हैं की यदि सब शाकाहारी हो जायेंगे तो अन्न की आपूर्ति नहीं हो पायेगी, इसलिए मांसाहार खाना जरूरी हैं। मांसाहार के बारे में यह जानना जरुरी हैं की यदि देश में मांसाहार बढ़ता हैं तो हमारा आर्थिक मानचित्र और नैतिक ढांचा भी बदसूरत हो पड़ेगा। आर्थिक ही क्यों हमारा सांस्कृतिक और नैतिक ढांचा भी बदसूरत हो पड़ेगा और हो गया। वैसे भी हमारे जीवन मूल्य एक तो नष्ट हो ही गए और जो बचे हैं वे भी चिन्दी चिन्दी हो जायेंगे और और हो रहे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना उचित हैं की हम पानी की तंगी से जूझ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण मांसाहार हैं। एक अमेरिकन औसत 120 किलो मांस वार्षिक खाता हैं जिसे प्राप्त करने में लगभग एक टन अनाज खर्चा होता। एक टन अनाज से एक वर्ष में दस व्यक्तियों का काम चल सकता हैं एक किलो गेहू के उत्पादन में जहाँ 50 गैलन पानी लगता हैं एक किलो मांस उत्पादन में 5000 गैलन पानी लगता हैं। इसीलिए जैसे जैसे कत्लखाने खुलेंगे वैसे वैसे पानी की कमी होती जाएँगी दुनिया भर में अपहरण, युध्य दंगे, कलह, हत्याएं, विकलाँगता, भुखमरी नशाखोरी बेहताशा बढ़ रहे हैं ! इसका कौन हैं जिम्मेदार मांसाहार, हम जब हिंसाएं कर रहे तो बदले में हिंसा ध्वरूरता पाएंगे, भुखमरी का आलम यह हैं की विश्व में हर रोज करोड़ों लोग या तो भूखे रह रहे हैं या आधा पेट सोते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ रोज लाखों बच्चे भूख से छटपटा कर दम छोड़ देते हो क्या नर्क से कम कही जाएँगी कौन हैं इन बच्चों और इतनी बड़ी आबादी पर जुल्म ढोने वाले मांसाहारी। मांसाहारी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जानना जरुरी हैं की जो देश मांसाहारी हैं और जो मांसाहार के लिए पशुओं को पनपाते और काटते हैं जिन्होंने कृषि भूमि को चारागाह में बदल रखा हैं, कारखाने चला रहे हैं मांस के चूज़ों के अण्डों के .जिम्मेदार हैं इस मानवीय संकट के लिए। मांस .अंडे की व्यापारिक लॉबी आक्रामक प्रचार के माध्यम से। अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए अरबों पौंड डॉलर खरच कर लुभावने विज्ञापनों से आकर्षित कर जबरन उपभोक्ताओं को थोपना चाहते हैं। सरकारें इन लॉबी के सामने बंधुआ मजदूर की तरह या कुत्ते के समान दुम हिलती नज़र आती हैं। इसका उदाहरण दिल्ली मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकत्ता से नित्य इंडिया का मांस बनकर पैक होकर मध्य एशिया और अरब देशों में आबाध गति से पहुंचाया जाता हैं। हमारे देश अहिंसा का पुजारी हैं यह मांसाहार हमारे देश के लिए अभिशाप हैं। वास्तव में हमने यदि मांसाहार की निर्थकता को तमाम वैज्ञानिकों, धरम गुरुओं, डॉक्टर्स और सांस्कृतिक चेतावनियों के बावजूद भी नहीं समझा तो यह तय हैं की हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, स्वास्थ्य खतरे में पड़ जायेंगे और हम युगयुगो के लिए पतन की राह पर आ खड़े होंगे।

यहाँ तक भी सबसे क्रूर जानवर शेरनी जब अपने बच्चे को जन्म देती हैं तब वह स्तनपान कराती हैं ना की रक्तपान। हम जब किसी भी वस्तु ता खाद्य पदार्थ को खरीदते या खाते हैं तब उसकी गुणवत्ता की परख करते हैं क्योकि उसमे धन लगता हैं। क्या वह धनहमारे लिए कितना उपयोगी हैं इसका चिंतन नहीं करना चाहिए घ् दूसरा शाकाहार पदार्थ देखने में सुन्दर और मन को ललचाते हैं और छूने का मन होता हैं जबकि मांस देखने में घिनोनाए ग्लानि पैदा करता हैं और छूने के बाद हाथ धोना पड़ता हैं। मांस हिंसा से प्राप्त होता हैंए दूध वात्सल्य भाव से। अंत में यह कहना उचित हैं मांस खाओ और अनेकों जघन्य बीमारियां बुलाओ।

डॉ. अरविन्द जैन
(ये लेखक के अपने विचार है)

वर्तमान फैसले से अयोध्या विवाद के शीघ्र निपटारे का रास्ता बना

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मस्जिद नमाज अदा करने के लिए जरूरी नहीं है। न्यायलय के लिए इसे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इसके बाद ही मुख्य मामला आगे बढ़ता। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने 2.1 के बहुमत के फैसले में कहा है कि मस्जिद ही इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। जम इस्लाम का ही अभिन्न अंग नहीं है को नमाज अदा करने के लिए भी जरुरी नहीं है। न्यायमूर्ति नजीर ने अलग राय व्यक्त की लेकिन बहुमत का फैसला ही मान्य होता है। यह बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि 1994 में उच्चतम न्यायालय का पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस पर फैसला दे चुका था लेकिन चूंकि इसे फिर से उठा दिया गया इसलिए इसका दोबारा निर्णय करना आवश्यक हो गया था। अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसके विपरीत आता यानी वह कहता कि इस्लाम का मस्जिद से रिश्ता अटूट है और नमाज पढ़ने के लिए यह जरुरी है तो एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता। अयोध्या विवाद के बाबरी पक्ष ने 24 वर्ष पहले यह मामला उठाया ही इसलिए था ताकि हिन्दू जिस तरह विवादित स्थल पर पूजा करते हैं उसी तरह उन्हें भी नमाज अदा करने की इजाजत मिल जाए। न्यायालय ने तब भी इसकी गहन सुनवाई की और इस्लाम की मजहबी पुस्तकों एवं विद्वानों को उद्धृत करते हुए साफकर दिया कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आवश्यक नहीं है। प्रश्न है कि फिर इसे क्यों उठाया गया।

दरअसल, एक पक्ष मामले को लंबा खींचना चाहता है। उसके लिए इसे कानूनी दांव.पेच में उलझाना जरुरी है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। अपने आदेश में बेंच ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटा था। राम मूर्ति वाले पहले हिस्से में राम लला को विराजमान कर दिया। राम चबूतरा और सीता रसोई वाले दूसरे हिस्से को निर्मोही अखाड़े को दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को सुन्नी वक्फबोर्ड को। इस फैसले को सभी पक्षकारों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इनको स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाकर यथास्थिति बहाल कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने साफकहा कि मामले का फैसला आस्था के अनुसार नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर होगा। बाबरी पक्ष के लोग यह तर्क तो देते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसे दीवानी मामला माना है और यह सही है लेकिन वे इस आस्था का प्रश्न भी बना देते हैं। नमाज और मस्जिद का रिश्ता वाला पेच ऐसा ही था। 5 दिसंबर 2017 को अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। बाबरी पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि नमाज अदा करना धार्मिक कर्मकांड है और मुसलमानों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह इस्लाम का अभिन्न अंग है। उन्होंने ही प्रश्न उठाया कि क्या मुस्लिम के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी नहीं हैघ् इसका जवाब यह कहते हुए दिया कि उच्चतम न्यायालय ने 1994 में दिए फैसले में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उनके अनुसार नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग है और यह जरुरी धार्मिक गतिविधि है तो 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उनका कहना था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला भी 1994 के फैसले के आलोक में था। मामले को फिर से संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई। इससे मुख्य मामले की सुनवाई रुक गई। इसके साथ उस फैसले के खिलाफ 13 याचिकाएं न्यायालय के समक्ष डालीं गईं। कोई भी समझ सकता है कि इसके पीछे मामले में शीघ्र न्याय के रास्ते डालने की ही रणनीति मुख्य थी। पीठ द्वारा यह कहने के बाद कि इसे संविधान पीठ को सौंपने की आवश्यकता नहीं है यह अध्याय समाप्त हो गया है।

वास्तव में 6 दिसंबर 1992 को विवादास्पद ढांच ध्वस्त किए जाने के बाद केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर उस जगह का अधिग्रहण कर लिया था। हालांकि अधिग्रहण के बावजूद हिन्दुओं के पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं लगाई गई। इसी के खिलाफयाचिका डाली गई कि मस्जिद का अधिग्रहण किया ही नहीं जा सकता। यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात है, क्योंकि इससे हमारा नमाज पढ़ने का हक खत्म हो जाता है। यह अलग बात है कि वहां नमाज कब पढ़ा गया इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि लगातार पूजा पाठ के साक्षात प्रमाण हैं। उस समय उच्चतम न्यायालय ने न केवल अयोध्या विवाद, रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद के महत्व, मस्जिदों के निर्माण के इतिहास, इस्लाम के इतिहास, नमाज के नियम, उन पर कुरान शरीफ सहित अलग.अलग पुस्तकों की राय आदि का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि नमाज के लिए कहीं भी मस्जिद अनिवार्य नहीं किया गया है। यही सच भी है मस्जिद निर्माण बहुत बाद में आरंभ हुआ। पांच वक्त नमाज अदा करने वाले हर समय मस्जिद जाते नहीं। हां, जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए कोई एक जगह चाहिए, उसमें वजु करने यानी अपने को पवित्र करने आदि की व्यवस्था चाहिए इसलिए मस्जिदों का निर्माण हुआ। किंतु मस्जिद केवल एक भवन ही है। हिन्दू मन्दिरों की तरह किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती कि उनकी पूजा वहीं की जाए। वैसे हिन्दू धर्म में भी सामान्य पूजा के लिए मंदिर आवश्यक नहीं है। किंतु जैसे द्वादश ज्योर्तिलिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, वैसे ही कुछ दूसरे धार्मिक महत्व के स्थापित मंदिर हैं। उनकी पूजा वहीं हो सकती है। नमाज के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने उसी फैसले को फिर से स्पष्ट किया है। इसमें कहा है कि सरकार के पास किसी भी धार्मिक स्थल के अधिग्रहण करने का अधिकार है, वह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी हो सकता है। हां, यदि वह स्थान किसी विशिष्ट महत्व का हो, जिसके अधिग्रहण से उस विशेष धर्म की धार्मिक गतिविधियों का लोपन होता हो तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि तब संविधान पीठ के सामने ऐसा कोई पहलू नहीं आया जिससे साबित हो कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद का मस्जिद किसी विशेष महत्व का है, जिसके अधिग्रहण से धार्मिक गतिविधि खत्म हो जाएगी, इसलिए न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि इसके अधिग्रहण से संविधान की धारा 25 और 26 में मिले अधिकार का कहीं से उल्लंघन नहीं होता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान की टिप्पणी अयोध्या कानून 1993 के तहत कुछ निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण के संदर्भ में थी। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि मस्जिद को इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अंग कभी भी माना ही नहीं जाएगा।

न्यायालय की इन टिप्पणियों का पहला निष्कर्ष तो यही है कि अब अयोध्या विवाद को किसी कानूनी पेच में फंसाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इसका महत्व यह है कि अब न्यायालय 29 अक्टूबर से प्रतिदिन मामले की सुनवाई करके यह निर्णय कर सकेगा कि विवादास्पद स्थान पर किसका कानूनी हक बनता है। बाबरी पक्ष भले उपर से जो कहे लेकिन वे इस फैसले से नाखुश हैं। अधिवक्ता राजीव धवन ने तो फैसले को ही गलत बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था। ये विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां हैं। वैसे यह तर्क गलत था कि 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 1994 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला काफी विस्तृत फैसला था। इसमें ऐतिहासिक, खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक, धार्मिक आदि सारे सबूतों का विवरण है। हां, उसमें 1994 के फैसले का उद्धरण भी है, पर यह आधार कतई नहीं है। उच्चतम न्यायालय चाहता तो इस दलील को एकबारगी खारिज भी कर सकता था। किंतु ऐसा करने से फिर इनको बाहर प्रश्न उठाने का बहाना मिल जाता। प्रश्न तो आगे भी उठाएंगे किंतु यह किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के गले नहीं उतरेगा। बाबरी पक्ष को भय यही है कि अगर उस स्थान को मुसलमानों के लिए विशेष महत्व का माना ही नहीं गया तो फिर मुख्य फैसला में भी यह पहलू आ सकता है। यह भय उनके अंदर 1994 से ही बना हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनका यह भय और बढ़ा है। वैसे सच तो यही है कि रामजन्मभूमि हिन्दुओं के लिए जितने गहरे धार्मिक महत्व का विषय है, उतना बाबरी इस्लाम की दृष्टि से किसी महत्व का स्थान नहीं हो सकता। बहरहाल, इस बड़े पेच से निकलने के बाद अयोध्या विवाद के फैसले की ऐतिहासिक घड़ी आ रही है।

अवधेश कुमार
(ये लेखक के अपने विचार है)

राज काज

केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की चाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के पीछे भाजपा का हाथ है। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर उग्र प्रदर्शन करते देखे गए हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सैलरी नियमित रूप से दी जाए साथ ही एरियर भी दिया जाए। जहां तक दिल्ली की सफाई व्यवस्था की बात है तो केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि वो सफाई व्यवस्था को लेकर खासे चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब वो इससे जुड़े सच सभी के सामने लाएंगे, ताकि इसे लेकर जो राजनीति की जा रही है वह बंद हो सके। इस पर घाघ राजनीतिज्ञों ने कहना शुरु कर दिया कि अब केजरीवाल को भी समझ में आ गया होगा कि राजनीति करना कितनी टेढ़ी खीर है।

नीतिश की साख का सवाल

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग खारिज होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढेंगी ही बढ़ेंगी। जद यूद्ध की पुरानी मांग यदि केंद्र में मोदी सरकार के रहते हुए भी पूरी नहीं हुई तो चुनावों में पार्टी की फजीहत होना तय है। यही वजह है कि जदयू नेता और मंत्री कृष्णनंदन वर्मा कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई है। वहीं खुद मुख्यमंत्री नीतिश कुमार कह रहे हैं कि विकास के लिए बिहार को श्विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इन तमाम बातों को लगभग काटते हुए मंत्री और भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने कहा है कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही विशेष पैकेज की घोषणा कर चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। ऐसे में और कोई बात कैसे की जा सकती है। बहरहाल जानने वाले तो जान ही रहे हैं कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो नीतिश कुमार और उनकी पार्टी को चुनाव में खासा नुक्सान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो लगातार इस मांग को उठाते रहें तो आश्चर्य नहीं होगा।

और अब जीका वायरस का प्रवेश

आखिर जीका वायरस ने भारत में भी दस्तक दे ही दी। हांलाकि जयपुर में जीका वायरस से प्रभावित मामलें सामने आते ही केन्द्र व राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और राज्य के साथ ही केन्द्र सरकार के विशेषज्ञों का दल जयपुर पहुंच कर स्क्रीनिंग के काम में जुट गया है। तीनों संदिग्धों के सेंपल जांच के लिए पूना भेजे जा चुके हैं और संदिग्ध मरीजों के घर के आसपास सहित घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरु कर दिया गया है। अभी यह मामलें शास्त्रीनगर जयपुर के बताए जाते हैं पर जयपुर में जीका वायरस के मामलें मिलना चिंता का विषय है।

जीका वायरस ग्लोबल खतरा बना हुआ है। इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील है। माना जा रहा है कि ब्राजील में इस वायरस ने करीब 15 लाख लोगों को अपने दायरें में ले रखा है। जीका वायरस के प्रभाव से बचाने के ठोस प्रयास किया जाना अपने आपमें चुनौतीभरा काम है। अमेरिका तक में 40 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मच्छर जनीत रोग जीका वायरस की पहचान 1947 में की गई थी। दक्षिण अमेरिका सहित करीब 23 देशों में जीका वायरस प्रभावित लोगों के मामलें सामने आते जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ही अफ्रिका और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जीका वायरस के मामलें बहुतायत में सामने आए हैं। अभी तक इसके ईलाज का टीका विकसित नहीं हो पाया है और ना ही इस रोग का कोई ठोस निदान सामने आ पाया है। जीका वायरस से माइक्रोकेफेली और ग्यूलेन वैरे का खतरा है। माइक्रोकेफली में नवजात बच्चे आकार में छोटे और अविकसित दिमाग के होते हैं तो ग्यूलेन वेरे बीमारी का मतलब तंत्रिका जनित रोग और लकवा जैसी स्थिति आ जाती है। आम मच्छर जनीत रोगों की तरह ही इसमें बुखार, जोड़ों का दर्द, शरीर पर लाल चकते, थकान, सिरदर्द और आंखों में लालिमा आना इस रोग के लक्षण बताए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में जीका वायरस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है और मच्छरों की रोकथाम, पूरे शरीर को ढक कर रखने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और आसपास किसी भी स्थान, कूलर, गमले या अन्य में पानी एकत्रित ना होने देने का सुझाव देता रहा है। दरअसल मच्छर को मच्छर समझने की भूल करना ही जीका हो या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के फैलाव का कारण है। यह भी साफ है कि मच्छर जनीत रोग जानलेवा साबित होने में देरी नहीं लगाते। डेंगू से मौत के देश भर में सैकड़ों मामलें सामने आ चुके हैं। इलाज के नाम पर हांलाकि चिकित्सक हल्का तरल पदार्थ लेने की सलाह देते रहते हैं। चिंता की बात यह है कि जयपुर में जीका वायरस कैसे पहुंचा। आखिर जयपुर में एक साथ एक से अधिक महिलाओं के जीका से ग्रसित होने का क्या कारण रहा। अब तक देश में मलेरिया वायरल के बाद चिकनगुनिया व डेगूं के मामलें ही अधिक देखने को मिले हैं। डेगूं के कहर से हजारों जिंदगिया असमय काल के ग्रास में समा चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश व्यापी स्वच्छता अभियान और सरकार के मच्छरों की रोकथाम के लिए सुझाए जा रहे उपायों के बावजूद मच्छर है कि अपना कुनवा बढ़ाते ही जा रहे हैं। बरसात के बाद सर्दी की शुरुआत के साथ ही इन बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। एक समय था तब मलेरिया की रोकथाम के लिए घर-घर मलेरिया की नियमित जांच, डीडीटी पाउडर का वितरण, लालदवा का वितरण, टीकाकरण, फोगिंग आदि नियमित व्यवस्था में शुमार थी और एक हद तक मलेरिया में अंकुश लगाने में कामयाब भी रहे पर अब वापिस मलेरिया वायरल के मामलें भी सामने आने लगे हैं। जीका वायरस का अभी तो प्रवेश मात्र ही है। देश में कुछ मामलें ही सामने आए हैं। ऐसे में सरकारी तंत्र को अतिसक्रियता से जीका वायरस के प्रभाव को सीमित करने के साथ ही इसके विस्तार को रोकने के कदम उठाने होंगे ताकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका और दक्षिण एशिया में तेजी से विस्तारित हो रहे जीका वायरस के प्रभाव से देश को बचाया जा सके। हांलाकि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मामले सामने आते ही केन्द्र सरकार का दल जयपुर आ गया। सेंपल पूना जांच के लिए भेजे गए। रोकथाम के प्रयास शुरु हो गए। नगर निगम को फोगिंग सहित अन्य उपाय करने, लोगों को मच्छर पैदा होने से रोकने, मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए सचेत करने, फोगिंग कराने जैसे उपायों के लिए सचेत करने का काम शुरु हो गया है। फिर भी मच्छर को मच्छर नहीं समझ कर जीका वायरस की रोकथाम के ठोस प्रयास करने ही होंगे।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(ये लेखक के अपने विचार है)